न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉंची।

एस ए आर अपील 47 आर 15/07–08

बिरसा उरॉव — अपीलकर्ता

बनाम

नन्दु उरॉव — प्रतिवादी

आदेश

7
25.01.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 265/06–07 में विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉंची द्वारा दिनांक 25.5.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
रातु	567	1919	1.11 एकड

अपील आवेदन में कहा गया है कि विवादित जमीन खतियान में बिगा उरॉव, काशी उरॉव, जगरनाथ उरॉव वो हेम्बा उरॉव पिता गुलु उरॉव के नाम दर्ज है। आपसी बॅटवारे में यह जमीन बिगु उरॉव को मिला। बिगु उरॉव ने निबंधित बसीका संख्या 1316 दिनांक 1.3.1941 द्वारा इसे चरवा उरॉव को बिक्री किया। चरवा उरॉव के एकमात्र पुत्र सुका उरॉव थे। सुका उरॉव के पुत्र अपीलकर्त्ता हैं। अपील आवेदन में यह भी बताया गया है कि अपीलकर्त्ता पूर्वजों के समय से ही लगातार दखलकार हैं। वर्तमान सर्वे का बण्डा पर्चा भी उनके नाम बना है। बर्ष 1941 में आदिवासी जमीन हस्तांतरण के लिए पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं थी।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख किया गया।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी खतियानी रैयत के वंशज हैं। प्रतिवादी के पूर्वजों ने यह जमीन जरपेशगी

में दिया था एवं 300 रुपैये की जगह 500 रुपैये का भूगतान कर दिया था। अतः निम्न न्यायालय का आदेश सही है।

वर्तमान अभिलेख, निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस आदि से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता के पूर्वजों द्वारा 1941 में निबंधित बिकय पत्र से जमीन खरीदा गया है। उस समय बिक्रय हेतु पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं थी। अतः जमीन का अवैध हस्तांतरण नहीं हुआ है।

अतः अपील स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का आदेश विखंडित किया जाता है।

दिनांकः—25.01.2008

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता,
रॉची।